

न्यायालय अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)
अपील संख्या:- 12/08/2026 रजि0 न0 2026/17

अपीलार्थी:-

प्रत्यर्थी:-

श्री वेद राठोड़, निवासी-32, एन.डी.सदन
देहली रोड, मुंगस्का अलवर (राज.)

लोक सूचना अधिकारी एवं सचिव नगर
विकास न्यास, अलवर (राजस्थान)

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19 (1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

---:: निर्णय ::---

दिनांक:- 10.02.2026

1. उभय पक्ष अनुपस्थित ।
2. हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का विशुद्ध परिशीलन किया ।
3. अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा-6 (1) के तहत सूचना आवेदन दिनांक 01.09.2025 के परिपेक्ष्य में लोक सूचना अधिकारी के द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई। अतः सूचना दिलवायी जावे।
4. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर वांछित सूचना नहीं दिये जाने के संबंध में प्रत्यर्थी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया गया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है तो दिनांक 03.02.2026 को उपस्थित आवें।
5. अपीलार्थी उपस्थित नहीं आया तथा लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन सचिव, नगर विकास न्यास, अलवर के जवाब पत्र संख्या नविवि/आर0टी0आई0/2026/12613 दिनांक 02.02.2026 जिसकी प्रति अपीलार्थी को भी पृष्ठांकित की गई है के माध्यम से जवाब नोटिस प्राप्त हुआ है जिसे अभिलेख पर लिया गया व अपील में उठाये गये तथ्यों-प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब का परीक्षण किया गया। प्रत्यर्थी द्वारा अपने जवाब में उल्लेख किया गया है कि अपीलार्थी के सूचना आवेदन दिनांक 01.09.2025 के द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत चाही गई सूचना के संदर्भ में प्रार्थी को पत्र 10065 दिनांक 18.11.2025 को मांग पत्र राशि 20/- हेतु पत्र प्रेषित किया गया था किन्तु आवेदक द्वारा राशि जमा नहीं करवाई गई। अवधि निकल जाने के कारण आवेदक को निःशुल्क प्रमाणित प्रतिलिपियां/सूचना भिजवाई जा रही है।
6. उक्त पत्र प्रार्थी को निर्धारित समय सीमा में नहीं भिजवाया गया है इसलिए प्रार्थी निःशुल्क सूचना प्राप्त करने का अधिकारी है। अपील अपीलार्थी स्वीकार किये जाने योग्य है।
7. अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाती है। प्रत्यर्थी को आदेशित किया जाता है कि अपीलार्थी के द्वारा चाही गई सूचना के संबंध में अपीलार्थी को 15 दिवस में पंजीकृत पत्र के माध्यम से निःशुल्क सूचना उपलब्ध कराई जावे एवं भविष्य में उक्त अधिनियम के तहत प्राप्त होने वाले सभी आवेदन पत्रों का समयावधि में सूचना उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करावें। उभय पक्ष को निर्णय की प्रमाणित प्रति भिजवाई जावे।
8. आज दिनांक 10.02.2026 को निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया तथा हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित किया गया ।




(डॉ. आतिका शुक्ला)
अपीलीय अधिकारी एवं
जिला कलक्टर, अलवर